

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाएँ

[S samanyagyan.com/hindi/gk-welfare-schemes-for-women-in-india](http://samanyagyan.com/hindi/gk-welfare-schemes-for-women-in-india)

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी: (Information about Government of India's schemes for women empowerment)

किसी भी समाज के विकास और उत्थान के लिए उस समाज का सीधा सम्बन्ध उसी समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की है। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** यह योजना महिलाओं के प्रति गिरते बाल लिंग अनुपात के प्रकाश में बालिकाओं के संरक्षण और अस्तित्व को सुनिश्चित करके महिलाओं के विकास और उत्थान से संबंधित है और साथ ही यह योजना बालिकाओं के जन्म पर जश्न मनाने और उन पर गर्व करने पर केंद्रित है जैसे हम अपने लड़कों के बारे में हैं। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत शहर में 22 जनवरी 2015 को हुई थी और जब इस योजना के लिए प्रारंभिक अनुदान 100 करोड़ रुपए दिये गए थे।

मूल उद्देश्य

लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना।

एक बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना।

लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए।

- वन स्टॉप सेंटर योजना:** भारतीय समाज में महिलाएँ शोषण, अत्याचार और हिंसा से जूझ रही हैं। यह हिंसा किसी भी रूप में हो सकती है – शारीरिक, यौन, मानसिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक शोषण आदि। इस प्रकार की हिंसा के लिए उचित समय पर उचित कार्यवाही करना अति आवश्यक है। इसी कारण महिलाओं के उत्थान के अनुरूप, वन स्टॉप सेंटर योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। यह 18 साल से कम उम्र की प्रभावित महिलाओं और लड़कियों को तत्काल प्रतिक्रिया, आपातकालीन सहायता, चिकित्सा सहायता और कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है।

मूल उद्देश्य

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना।

महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श समर्थन सहित कई सेवाओं की तत्काल आपातकालीन और गैर-लाभकारी पहुंच की सुविधा के लिए।

3. **महिला हेल्पलाइन योजना:** यह योजना 01 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी, यह महिला हेल्पलाइन 1091 योजना उन महिलाओं के उत्थान के लिए एक पहल है, जिन्हें हिंसा का सामना करने वाली तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हिंसा का सामना करने वाली किसी भी महिला या लड़की को 24 घंटे टोल फ्री टेलीफोनिक सहायता प्रदान करता है। यह सरकार और सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी मदद के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है। ये हेल्पलाइन निकटतम अस्पताल, एम्बुलेंस सुविधा, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन विभाग और अन्य का हवाला देकर गंभीर स्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं।

मूल उद्देश्य

समर्थन और सूचना मांगने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल-फ्री 24 घंटे की दूरसंचार सेवा प्रदान करना।

पुलिस / अस्पतालों / एम्बुलेंस सेवाओं / जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA)/ संरक्षण अधिकारी (PO) जैसी उपयुक्त एजेंसियों के लिए रेफरल के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप में मदद करने के लिए।

हिंसा से प्रभावित महिला को उपलब्ध उचित सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए।

4. **प्रधानमंत्री उज्वला योजना:** यह योजना मार्च 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना द्वारा गरीबी रेखा से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। कमजोर वर्ग के पक्ष में एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए सामाजिक अभियान और संपन्न वर्ग से अपील करने के कारण इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। साथ इस योजना द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन है, इस योजना द्वारा दो तरह से लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें यह न केवल महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, उन्हें धुएं और धूल से दूर रखेगा, और इन लोगों द्वारा आग के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर-नवीकरणीय संसाधनों को भी बचाएगा। उन्हें केवल आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक आवेदन करना होगा।

मूल उद्देश्य

महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना।

खाना पकाने के लिए जीवाश्म ईंधन और अन्य ईंधन का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले स्वास्थ्य मुद्दों पर अंकुश लगाना।

खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अशुद्ध ईंधन के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना।

श्वसन संबंधी मुद्दों को नियंत्रित करना जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के परिणामस्वरूप इनडोर प्रदूषण के कारण होता है जो सफाई से जलता नहीं है।

5. **मातृत्व लाभ कार्यक्रम:** यह योजना भारत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लाभ और सरकारी प्रायोजित सुविधाओं का उचित देखभाल, अभ्यास और कुशल उपयोग प्रदान करने की इच्छा के लिए है। पहले इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में जानी जाती थी, बढ़ती मातृ मृत्यु दर का मुकाबला करने के लिए 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। यह 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण प्रस्तुत करता है जो अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए उम्मीद या स्तनपान कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान यह अतिरिक्त रूप से वेतन हानि को कवर करता है। अपनी गर्भविस्था के दौरान महिलाओं को होने वाले नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना और अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए माताओं को 6,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान करना, अब तक 4.8 मिलियन लाभार्थियों तक पहुँच चुका है।

मूल उद्देश्य

गर्भविस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उपयुक्त अभ्यास, देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना।

महिलाओं को पहले छह महीनों के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान सहित पोषण (दूध पिलाने) और पोषण प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP):** एसटीईपी योजना के द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और महिलाओं को स्वरोजगार / उद्यमी बनने के लिए सक्षमता और कौशल प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को लाभान्वित करना है जो देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में हैं। योजना के तहत अनुदान किसी संस्था / संगठन को दिया जाता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, न कि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को। एसटीईपी योजना के तहत सहायता रोजगार और उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध होगी, जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और आईटी सक्षम तक शामिल नहीं हैं। काम की जगह के लिए सॉफ्ट स्किल्स और स्किल्स के साथ-साथ सेवाएं जैसे कि अंग्रेजी, रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य। इस योजना की शुरुआत 1986-87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी थी।

मूल उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व-रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है।

इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था/संगठन यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है।

7. **सुकन्या समृद्धि योजना:** इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 हुई थी जिसके तहत सरकार न केवल अधिक से अधिक लड़कियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, बल्कि उन्हें बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए भी दृढ़ प्रयास कर रही है। यह योजना परिवारों को उनकी बेटियों की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए आर्थिक रूप से मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस बचत योजना के अनुसार, माता-पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में न्यूनतम राशि के साथ एक विशेष खाता खोल सकते हैं। 1000 प्रति वर्ष। खाता खोलने की तारीख से किसी भी मूल्य के कई जमा 14 साल तक हर साल किए जा सकते हैं। 21 वर्षों के बाद जमा परिपक्व हो जाएगा। किए गए जमा को आयकर की धारा 80 सी के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। इसके अलावा अर्जित ब्याज, वर्तमान में 8.4% प्रति वर्ष, कर-मुक्त भी है।

मूल उद्देश्य

महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बचत योजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे अपने दीर्घकालिक जीवन के लक्ष्यों और सपनों जैसे उच्च शिक्षा, विवाह आदि को पूरा कर सकें और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकें